

Speed Post/Online

F. No.21-155/2017-IA-III

Government of India**Ministry of Environment, Forest and Climate Change****(IA.III Section)**Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, New Delhi - 3

To,

Date: 10th August, 2017**M/s Prosper Buildtech Pvt. Ltd,**

602 A, Plot No. 17, Sachdeva Corporate Tower,

DDA Community Center, Kardardooma, Delhi-110092

Email: prosperbuildtech123@gmail.com

Subject: Group Housing Project at Plot No. Gh-4B, Sector-10, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh by M/s Prosper Buildtech Pvt. Ltd – Environmental Clearance - reg.

Sir,

This has reference to your online proposal No. IA/UP/NCP/64499/2017 dated 5th May, 2017 submitted to this Ministry for grant of Environmental Clearance (EC) in terms of the provisions of the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 under the Environment (Protection) Act, 1986.

2. The proposal for grant of environmental clearance to the project '**Group Housing Project at Plot No. Gh-4B, Sector-10, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh promoted by M/s Prosper Buildtech Pvt. Ltd** was considered by the Expert Appraisal Committee (Infra-2) in its meeting held on 25th to 27th May, 2017. The details of the project, as per the documents submitted by the project proponent, and also as informed during the above meeting, are under:-

- (i) The present proposal is for development of a group housing project "**Group Housing Project at Plot No. Gh-4B, Sector-10, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh promoted by M/s Prosper Buildtech Pvt. Ltd**". Project site is spread over an area of 20240.00 sqm and total built up area is 117575.43 sqm.
- (ii) Project involves construction of multi-storied residential with community facilities. Adequate parking 978 ECS is proposed on surface, stilt & basements for visitors as well as residents. Community facilities include club house, parks, and gardens. A total of 6651 sqm is to be developed as landscape area. The project envisages construction of 13 (11 Residential+ 2 facility blocks) of 2B+ST+22 floors. Total population of the proposed project will be 5127 which include the population of residents, community and visitors.
- (iii) Water requirement during construction phase will be 417 KLD. This includes domestic water requirement, flushing, D.G. cooling and landscaping. The total fresh water requirement is 282 KLD which includes domestic water requirement. The water requirement for flushing and landscaping will be met through treated water from STP.
- (iv) Wastewater generated during construction phase will be disposed-off in septic tanks/soak pit. It is expected that the project will generate approx.

कार्यालय

संयुक्त निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय

उ0प्र0

लखनऊ।

पत्रांक-34/जे0डी0/फा0स0/मेरठ-16(ईको03)/210.

दिनांक: मई

2017.

सेवा में

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,

गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स प्रोसपर ब्लूडटेक प्रा0लि0, द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-04बी0, सेक्टर-10, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित गुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु रिवाईज्ड मानचित्रों की प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:

यूआईडी:2016/23071/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/5532/डी0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लॉट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु संशोधित मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए संशोधित प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-03 ग्रेटर नौएडा श्री शेषनाथ से कराया गया तो उनकी संस्तुति आख्या दिनांक: 29-04-2017 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण लिंक मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर/गाजियाबाद श्री अक्षय रंजन शर्मा द्वारा अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई प्रस्तुत आख्याओं एवं अभिलेखों का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसके अनुसार भवन का विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:- प्लॉट एरिया-20,240.00 वर्ग मी0 है। प्रश्नगत भवन की प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्र संख्या:आर-36/जेडी/फा0स0/मेरठ-16 (इको-3) दिनांक: 03-08-2016 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, वर्तमान में प्रस्तावित आवासीय भवनों को संशोधित एरिया विवरण निम्नवत है:-

क0स0	नाम टावर	तलों का विवरण		मूल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।		टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।		ऊँचाई मी0।	
		पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान
1	टावर-ए0	02बेस0, स्टिल्ट/काम एवं 20	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+20 तल	1296.433	346.153	350.530	288.125	65.450	65.45
2	टावर-बी0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+20 तल	403.396	337.146	316.828	290.804	70.600	65.45
3	टावर-सी0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+20 तल	376.042	346.153	292.340	288.125	70.600	65.45
4	टावर-डी0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+22 तल	403.396	341.959	316.828	288.125	70.600	70.60
5	टावर-ई0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+22 तल	439.648	332.952	350.530	275.803	70.600	70.60
6	टावर-एफ	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+22 तल	439.648	341.959	350.530	288.125	70.600	70.60
7	टावर-जी0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+22 तल	403.396	341.959	316.828	288.125	70.600	70.60
8	टावर-एच0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+22 तल	376.042	341.959	292.340	288.125	70.600	70.60
9	टावर-आई0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+22 तल	403.396	341.959	316.828	288.125	70.600	70.60
10	टावर-जे0	02बेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 20	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+22 तल	1296.433	332.952	350.530	278.103	65.450	70.60
11	टावर-के0	—	02बेस0+स्टिल्ट+भूतल+22 तल	1296.433	341.959	350.530	288.125	65.450	70.60
12	कॉमर्शियल	—	भूतल	—	708.041	—	—	—	04.45
13	कम्यूनिटी	—	भूतल+04 तल	—	1561.344	—	—	—	14.85
14	बेसमेन्ट:- प्रश्नगत भवन में डबल बेसमेन्ट प्रस्तावित है, जिसमें बेसमेन्ट अपर/लोअर का कवर्ड एरिया-16,755.840 वर्ग मी0 प्रत्येक है।								

भवन का अधिभाग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभाग आवासीय अपार्टमेंट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 24 मी0 का रोड है प्रवेश एवं निकास द्वार जिनकी चौड़ाई 06.00 मीटर एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

2-सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-15.00 मी0। बी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0। डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानकों के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरो के बाह्य एवं आन्तरिक भाग में 06-06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है जैसा कि मानचित्रों में दर्शाया गया है।

(संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस)

संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

No. AAI/RHA/NR/ATM/NOC/2016/297/1561-63

Prosper Buildtech Pvt. Ltd.

Date: 27-12-2016

M/s Deepak Mehta & Associates, 2nd
Floor, Plot No. 16, Abhishek Plaza,
L.S.C. Mayur Vihar Ph-II, Delhi-91

Valid Upto: 26-12-2021

No Objection Certificate for Height Clearance

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep. 2015 for Safe and Regular Aircraft Operations.

2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

NOC ID :	SAFD/NORTH/B/120116/184675
Applicant Name*	Deepak Mehta
Site Address*	Plot No. GH-04B, Sector-10, Greater Noida, Greater Noida, Delhi, Delhi
Site Coordinates*	77 28 47.70-28 34 20.84, 77 28 51.00-28 34 16.89, 77 28 51.68-28 34 23.42, 77 28 51.71-28 34 20.18, 77 28 54.98-28 34 19.50,
Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	210.43 M
Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level (AMSL)	292.53 M

*As provided by applicant

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The office in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994"

b. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

c. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994.

d. No radio/TV Antenna, lighting arresters, staircase, Mumtee, Overhead water tank and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation of 292.53 M, as indicated in para 2.

Page 1/2

राजीव गांधी भवन

Rajiv Gandhi Bhawan

सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली-110003

Safdarjung Airport, New Delhi-110003

दूरभाष : 24632950

Phone: 24632950

APPENDIX-1

Form for first application to erect, re-erect, demolish or to make material alteration in a building

The Chief Executive Officer,
Greater Noida Industrial Development Authority,
Uttar Pradesh

Sir,

I hereby give application that I intend to erect/re-erect/demolish or to make material alteration in the building on **Plot No. GH-4B, Sector-10** in accordance with the Greater Noida Industrial Development Area Building Regulations and Planning and Development Directions and I enclose herewith the documents as per checklist 1-A/1-B annexed to this application.

I request that the construction may be approved and permission accorded to me to execute the work.

Signature of the Applicant **For Prosper Buildtech Pvt. Ltd.**

Name of Applicant **Prosper Buildtech Pvt. Ltd.**

Address of the applicant **601, Sachdeva Tower, Karkardooma, Delhi-92.**

Dated:-

APPENDIX-1

Form for first application to erect, re-erect, demolish or to make material alteration in a building

The Chief Executive Officer,
Greater Noida Industrial Development Authority,
Uttar Pradesh

Sir,

I hereby give application that I intend to erect/re-erect/demolish or to make material alteration in the building on **Plot No. GH-4B, Sector-10** in accordance with the Greater Noida Industrial Development Area Building Regulations and Planning and Development Directions and I enclose herewith the documents as per checklist 1-A/1-B annexed to this application.

I request that the construction may be approved and permission accorded to me to execute the work.

Signature of the Applicant **For Prosper Buildtech Pvt. Ltd.**

Name of Applicant **Prosper Buildtech Pvt. Ltd.**

Address of the applicant **601, Sachdeva Tower, Karkardooma, Delhi-92.**

Dated:-

M/s Prosper Buildtech Pvt Ltd Add:- 602-A, Plot NO 17 Sachdeva Corporate Tower DDA Community Center Kakardooma Delhi द्वारा Plot No. GH-04, Sector-10 Greater Noida G.B Nagar के कुल क्षेत्रफल 20240 वर्गमीटर के 2481 वर्गमीटर क्षेत्र से 9.125 मीटर गहराई तक बेसमेन्ट निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसमें सम्भावित प्रथम 4.00 मीटर गहराई तक 9824 घनमीटर साठ मिट्टी का खनन किया जायेगा जिसकी वर्तमान रायवली दर ₹ 2.97,720/- होती है। एवं शेष 5.125 मीटर गहराई तक 12716 घनमीटर साठ बालू का खनन किया जायेगा जिसकी वर्तमान रायवली दर ₹ 0.65/- प्रति घनमीटर की दर से रायवली अंकन ₹ 8,26,540/- होती है। इस प्रकार कुल घनराशि ₹ 11,24,260/- को अग्रिम रूप से लेखा शीर्षक 0853 खनन एवं धातुकर्म में भुगतान कर दिया गया है। एतद्वारा जिलाधिकारी महोदय के आदेशा दिनांक 24.03.2018 द्वारा 03 माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये उपखनिज हटाने की अनुमति दी जाती है।

भूमि का व्यौरे

क्रम सं०	तहसील	प्लॉट संख्या	बेसमेन्ट एरिया का विवरण
1	सरर	Plot No. GH-04, Sector-10 Greater Noida G.B Nagar	उक्त प्लॉट का बेसमेन्ट एरिया 2481 वर्गमीटर भाग में 9.125 मीटर गहराई तक

स्थान: गौतमबुद्धनगर

दिनांक:- 27/03/2018 से 26/06/2018 तक

शर्तें

1. अनुमति धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करवा रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्तरना होते ही स्वयं निश्चित करेगा।
2. अनुमति धारक ऐसी शैली से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू-गृहादि, सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति तथा युक्तों पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुँचे।
3. अनुमति धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करते की अनुमति देगा।
4. उपखनिज का परिवहन प्रपत्र ई-प्रारूप-11 पर ही किया जायेगा।
5. अनुमति पत्र में निर्धारित मात्रा अथवा अवधि जो भी पूर्व में घटित होगी, तक ही मान्य होगी।
6. प्रत्येक 07 दिन में उपखनिज की निकासी की मात्रा का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
7. खनन स्थल से निकलने वाले वाहन खनिज को बिस्फाल से ढककर ही शहर के अन्दर परिवहन करें।
8. बेसमेन्ट निर्माण के दौरान निकले उपखनिज की निकासी का कार्य सुझातक उपाय बैरिकेडिंग आदि लगाकर इस प्रकार से किया जायेगा कि समीपवर्ती भू-भाग अथवा भवन व कार्यरत भवनों को क्षति न पहुँचे और यदि क्षति प्रसार हो तो उसका समस्त भुआवजा आवेदक द्वारा देय होगा।



9. यदि उपखनिज की निकासी करते समय अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी को देनी होगी व अन्य उपखनिज की रायवली का आकलन किया जायेगा जो आवेदक को अतिरिक्त भुगतान के रूप में देना होगा।

Safeguards को कड़ाई से अपनाया जाना होगा।

11. अनुमतिधारक द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णय का अनुपालन करते हुए एवं वन भूमि के अन्तर्गत सभी प्रकार के विधिक रूप से मान्यता प्राप्त (स्टेव्यूटरी रिकानाईज्ड) वन (चाहे वह आरक्षित या संरक्षित या किसी अन्य नामों (डिज़ाइनेटेड) से हो) क्षेत्रों में खनन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. जिला खनन अधिकारी द्वारा सत्यापन करके यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खनिज ले जाने के लिये जारी किये गये पत्रना का उपयोग स्वीकृत किये गये क्षेत्र से निकाले गये खनिज के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है तथा एक प्रकार के वाहन के लिए किये गये प्रपत्रों का दूसरे प्रकार के वाहनों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। जिस भू-खण्ड हेतु अनुमति दी जा रही है, उस भू-खण्ड से निर्धारित मात्रा में खनिज निकालने हेतु जारी किये गये पत्रना का प्रयोग किसी और जगह से अवैधानिक रूप से निकाले गये खनिज में किया जाना परमा जाता है तो अविलम्ब उक्त गैर विधिक कार्य करने वाली के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की जायेगी तथा उक्त वाहन एवं खनिज को सीज किया जायेगा।
13. अनुमति देने के उपरान्त निर्धारित अंतराल में तहसील स्तरीय टास्क फोर्स संशोधित कार्यालय आदेश पत्र संख्या-1648/एस0टी0-एस0डी0एस0/2018 दिनांक 01.02.2018 के अन्तर्गत सम्बन्धित तहसील के नायब तहसीलदार/तहसीलदार, खान अधिकारी/खनन निरीक्षक व क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अनिवार्य रूप से हर सप्ताह निरीक्षण किया जायेगा तथा गठित टास्क फोर्स उक्त स्थल पर खनन की जा रही खनिज (Mineral) का प्राथमिक अनुमान लगाकर उक्त मात्रा का अंकन भी करेगी अर्थात् टास्क फोर्स अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त समय समय पर निरीक्षण करते हुए खनन की जा रही मात्रा एवं गहराई की जाँच करेगी तथा यदि अनुमति में दिये गये क्षेत्रफल एवं गहराई की मात्रा से ज्यादा अवैध रूप से खनन किया जा रहा है तो सम्बन्धित अवैध खनन करने वाले अनुमति धारक व अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायेंगी। तथा उक्त को अवैध खनन मानते हुए उक्त खनिज को सीज करते हुए नियमानुसार विचारण करेगी।
14. शासन द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों के अधीन जिन आवेदन कार्यों को अनुमति मिली है उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि जितना गहराई तथा जितना मात्रा हेतु खनन अनुमति मिली है और जिस खनिज हेतु अनुमति मिली है उसकी



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Validity Period : 19/02/2018 To 18/02/2023

Ref No. - 10908/UPPCB/Greater Noida(UPPCBRO)/CTE/GREATER NOIDA/2018 Dated:- 15/03/2018

To,

M/S Kaushal Jain
Propser Buildtech Pvt. Ltd.
Proposed Group Housing at Plot No. GH-04B, Sector-10, Greater Noida, Uttar Pradesh
GREATER NOIDA

Sub : Consent to Establish for New Unit/Expansion/Diversification under the provisions of Water (Prevention and control of pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 as amended.

Please refer to your application form no 465593 dated - 06/01/2018. After examining the application with respect to pollution angle, Consent to Establish is granted subject to the compliance of following conditions :

1. Consent to Establish is being issued for following specific details :

A- Site along with geo-coordinates :

B- Main Raw Material :

Main Raw Material Details		
Name of Raw Material	Raw Material Unit Name	Raw Material Quantity
Not applicable as it is Group Housing Project.	Numbers/Day	944

C- Product with capacity :

Product Detail	
Name of Product	Product Quantity
Not applicable as it is Group Housing Project.	944

D- By-Product if any with capacity :

By Product Detail			
Name of By Product	Unit Name	Licence Product Capacity	Install Product Capacity
Not applicable as it is Group Housing Project.	Metric Tonnes/Day	944	944

E: Water Requirement (in KLD) and its Source :

Source of Water Details		
Source Type	Quantity (KL/D)	
Municipal Supply	GNIDA	400.0

F. Quantity of effluent (In KLD) :



GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

POSSESSION CERTIFICATE

Letter No. PROP/BRS/2015/1447
Date 28.10.2015

Plot Code —
Allotment No. BRS01/2014-15
Plot No. GH-4B
Block No. —
Sector 10

Lessee / Allottee's Name
& Address M/s PROSPER BUILDTECH
PVT LTD, 602A, Plot No. 17, Sachdev
Corporate Tower, DDA Commun
Center, Karkardooma, Delhi-9

Status/Boundaries of plot	Dimensions	Area (In Sq. m.)	Remarks
North-East.....			
South-West.....		20240	Sq. mtr.
South-East.....	As per lease plan enclosed		
North-West.....			

Site plan of the plot is enclosed herewith. GH-4B

I/We have taken over possession of the plot No.Block No.Sector 10 on 28.10.15

I/We agree with the plot size, area, earmarked in the enclosed plan and the plot is free from encroachment.

Possession handed over by

Possession taken over by


H-169, SECTOR-GAMMA, GREATER NOIDA CITY
DISTT. GAUTAM BUDH NAGAR (U.P.)
PIN - 201 308

For Prosper Buildtech Pvt. Ltd.


Signature of the lessee

Copy to

1. Lessee
2. General Manager (Property)
3. General Manager (Engg.)
4. General Manager (Finance)

H-169, SECTOR-GAMMA, GREATER NOIDA CITY
DISTT. GAUTAM BUDH NAGAR (U.P.)
PIN - 201 308